जशुभा भारतसिंह गोहील व अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

अप्रेल 13, 1994

[के. जयचंद्र रेड्डी व डॉ. ए.एस. आनंद, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 354(3) – मृत्यु दंड – जहां निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा देने के लिए विस्तृत कारण बताए हैं, यह माना गया कि उच्च न्यायालय द्वारा केवल उक्त कारणों को अलग ढंग से देखने के कारण मृत्यु दंड की सज़ा को बढ़ाना उचित नहीं था।

भारतीय दंड संहिता 1860-धारा 302,302/149,307/149।

चार आरोपियों का नाम एफआईआर में नहीं है और अभियोजन पक्ष के किसी गवाह ने उनके संदर्भ में कोई विशेष भूमिका नहीं बताई है – निर्धारित किया गया – उक्त आरोपी संदेह का लाभ प्राप्त करने व दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं – सात अन्य आरोपियों की सजा कायम।

चलन और प्रक्रिया - एक आरोपी द्वारा अपील दायर नहीं करना - अन्य तीन अभियुक्तों से संबधित विसंगतियाँ उक्त आरोपी पर भी लागू होगी

– निर्धारित किया गया –फैसले के लाभ से उक्त आरोपी को वंचित नहीं किया जा सकता।

सेशन न्यायालय द्वारा बारह अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302, 307, 148 सपठित धारा 120बी, 143, 149 भा.दं.सं. एवं विकल्प में धारा 302, 307/34 भा.दं.सं. व धारा 25ए आयुध अधिनियम के अपराधों के आरोप में दंडात्मक मुकदमा चलाया गया। दिनांक 20.09.1984 की घटना में दस लोग मारे गए व चार लोग घायल हुए।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अभियुक्तपक्ष -पक्ष और शिकायतकर्ता-पक्ष के बीच पूर्व दुश्मनी थी और अभियुक्त-पक्ष ने शिकायतकर्ता-पक्ष से बदला लेने हेतु उनपर हमला करने का षडयंत्र रचा। अभियुक्तगण के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि जब शिकायतकर्ता पक्ष एक शोक सम्मेलन से लौट रहे थे, तब अभियुतगण, जिन्होंने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया हुआ था, वे घातक आयुध यथा बंदूक, भाला, कुल्हाड़ी, आदि, से लैस होकर घाट लगाए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस स्थान पर अभियुक्तगण प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ जब परिवादी-पक्ष का ट्रेक्टर और ट्रेलर पहुंचा तब अभियुक्त संख्या-11 ने अपनी बंदूक से गोली चलाकर उन ट्रकों व ट्रेलरों के टायर की हवा निकाल दी, जिससे वे रुक गए। इसके पश्चात छिपे हुए अभियुक्तगण बाहर आए और ट्रेक्टर में सवार लोगों पर हमला कर दिया। गोलीबारी भी की गयी और जिन व्यक्तियों द्वारा भागने

का प्रयास किया गया, उनका पीछा कर उनके साथ मारपीट की गयी। गाँव से लौटने के बाद आरोपी गोलियाँ चलाते रहे।

विचारण न्यायालय द्वारा समस्त अभियुक्तगण को धारा 302 व 302 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. व अन्य लघु प्रकृति के अपराधों के लिए दोषी पाया गया। समस्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया गया।

समस्त अभियुक्तगण ने उक्त निर्णय की उच्च न्यायालय में अपील की। राज्य ने आजीवन कारावास की सज़ा को बढ़ाकर मृत्यु दंड की सज़ा के आदेश हेतु अपील की। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या-4, जिसे बारी किया गया, के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण की दोषसिद्धि पुष्ट की गयी। उक्त राज्य द्वारा दायर की गयी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अभियुक्त संख्या-11 की सज़ा को आजीवन कारावास से बढ़ा कर मृत्युदंड किया गया। अन्य अभियुक्त की आजीवन कारावास की सज़ा को यथावत रखा गया।

अभियुक्त संख्या-10 के अतिरिक्त अन्य समस्त अभियुक्तगण ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पेटीशन) प्रस्तुत की।

अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया गया व अभियुक्त संख्या-11 की मृत्यु दंड की सज़ा को घटाकर आजीवन कारावास किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया:

1. अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण की प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में अभियोजन साक्ष्य स्पष्ट व सुदृढ़ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया साक्ष्य का विवेचन सराहनीय है और हम उपरोक्त अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के निष्कर्ष व संबंधित तर्कों से सहमत हैं। चश्मदीद गवाहों द्वारा दिया गया विवरण स्पष्ट है और उनकी प्रतिपरीक्षा में उक्त ऐसा तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे उनकी साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। अभियुक्तगण द्वारा दी गयी इत्तला के अनुसरण में की गयी जब्तियाँ संदेहातीत रही हैं और चिकित्सकीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरुद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया है।

[479-B-C, 481-B]

2. यह निर्विवादित है कि परिवादी अन्य अभियुक्तगण के सहित अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 को भी जानता था। परिवादी स्वयं आहत होने से स्टेंप्ड साक्षी है और यह महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 का नाम बतौर अभियुक्तगण घटना के तुरंत बाद दर्ज कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया। परिवादी ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट पीडबल्यू-11 द्वारा लेखबद्ध किए गए बयान में भी, अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 का नाम बतौर हमले में संलिप्त व्यक्तियों के

रूप में नहीं लिया है, जबकि उक्त बयान में यह अंकित था कि, चार अन्य व्यक्ति थे। उक्त कारण से यह समझना कठिन है कि किस कारण परिवादी ने अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 का नाम प्रकट नहीं किया, विशेषकर तब जब अन्य समस्त अभियुक्तगण के नाम रिपोर्ट में वर्णित थे। यह कहना सही है कि विचारण के दौरान उक्त चारों अभियुक्तगण को भी घटना से बतौर आरोपी जोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु न्यायालय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि निर्दोष व्यक्तियों को दोषी व्यक्तियों के साथ लिप्त करने की प्रवृति नयी नहीं है। यह प्रकट होता है कि पक्षकार के मध्य स्वीकृत दुश्मनी व पूर्व शत्रुता के कारण प्रकरण के विचारण के दौरान विचार-विमार्च करने के उपरांत अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 को हस्तगत प्रकरण में बतौर अभियुक्त जोड़ा गया व उन्हें दोषी बाने हेतु मामला तैयार किया गया। किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 की घटना के संदर्भ में कोई भूमिका सिद्ध नहीं की है। परिवादी द्वारा पनि रिपोर्ट में "चार व्यक्तियौं इसलिए जोड़ा गया ताकि वह विचार विमर्श करने के उपरांत अन्य व्यक्तियों का नाम बतौर अभियुक्त जोड़ सके। अभियोजन पक्ष अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 के विरुद्ध मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहे हैं और इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 को हस्तगत प्रकरण में केवल उनके अन्य अभियुक्तगण से संबंध व पहचान के कारण जोड़ा गया

है। अतः उक्त कारण से अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित होने के अधिकारी हैं।

[479-F-H; 480-E-F]

3. यद्यपि अभियुक्त संख्या-10 ने इस न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, परंतु अभियुक्त संख्या-2, 3 व 6 के मामले से संबन्धित विसंगतियां उक्त अभियुक्त के मामले पर भी लागू होती हैं, जिस कारण उसे इस न्यायालय के निर्णय के लाभ से वंचित केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है।

[480-G]

4. इस न्यायालय द्वारा दंडादेश को बढ़ाने व मृत्यु दंड की सज़ा के संबंध में निर्धारित किए गए सिद्धान्त सुस्थापित हैं। धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संशोधित) यह आज्ञापक करती है कि मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों में दोषसिद्धि के समय अभियुक्त के विरुद्ध पारित किया गया दंडादेश के समर्थन में कारण अंकित करने होंगे और यदि न्यायाधीश मृत्यु दंड पारित करता है, तो वह उक्त संदर्भ में "विशेष कारण" अपने निर्णय में अंकित करेगा। अतः न्यायाधीश अपने दंडादेश के विवेक के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए विधिक दायित्व के अधीन है। विधायिका ने अपने सर्वोच्च ज्ञान में पूर्वसांकेतिक किया कि कुछ "दुर्लभ मामलों" में "विशेष कारण" अभिलेख पर लिए जाने

से मृत्यु दंड की अत्यधिक सज़ा अधिरोपित करने से अन्य व्यक्तियों में दर पैदा कर समाज की संरक्षा की जा सकती है और राज्य व देश की संप्रभुता व सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती, परंतु विधायिका ने दंडादेश का चुनाव करने का अधिकार न्यायपालिका को इस शर्त के साथ दिया है कि "विशेष कारण" हेतु न्यायालय मृत्यु दंड की अत्यधिक सज़ा दे सकता है। परिणामतः दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय को उक्त बिन्दु के संदर्भ गंभीरता से विचार करना होता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना होता है कि सज़ा के बिन्दु को प्रभावित करने वाले समस्त सुसंगत तथ्य व परिस्थितिय अभिलेख पर प्रस्तुत किए जावे। न्यायालय को सज़ा देने से पूर्व न्यूनीकरण व गुरुतर करने वाली परिस्थित्यों को महत्व देना होता है।

उक्त संबंध में *बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [1983] 1 एस. सी. आर. 145 निर्देशित है।

5. हस्तगत परकान में, विचारण न्यायालय द्वारा पैरा संख्या-83 से 92 में सज़ा के बिन्दु के संदर्भ में विस्तार से विवेचन किया गया है और विधिक प्रावधानों, धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से लाये गए विधायी परिवर्तन व न्यायिक विनिश्चय के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि आजीवन कारावास की सज़ा से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। परिणामतः यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने

मात्र फौरी तौर पर आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी और मृत्यु दंड की सज़ा नहीं देने के विवेक के संबंध में विस्तृत कारण अंकित किए हैं। विचारण न्यायालय द्वारा दिये गए कारण पूर्ण रूप से असंतोषजनक व अप्रासंगिक नहीं हैं, विकृत तो बिलकुल नहीं है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिये गए कारणों से असहमत होकर, विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के पाँच वर्ष उपरांत, अभियुक्त संख्या-11 की आजीवन कारावास की सज़ा को बढ़ाकर मृत्यु दंड कर दिया। उच्च न्यायालय ने सज़ा के बिन्दु पर अपने मत के समर्थन में कारण अंकित किए, परंतु उच्च न्यायालय ने यह अभिमत नहीं दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिये गए कारण इस स्तर पर विकृत व अनुचित थे, की उन्हें रखे नहीं जा सकते। उच्च न्यायलय द्वारा विधायक निधि व इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि का भिन्न दृष्टिकोण लेते हुए व इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर मृत्यु दंड का आदेश आधारित किया है। वैध रूप से उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी एक संभावित दृष्टिकोण है।

[483-D-G]

6. धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता के उक्त विधि में समावेशन से पहले, जब मृत्यु दंड की सज़ा देना लगभग नियम था और आजीवन कारावास की सज़ा अधिरोपित करने के लिए विचारण न्यायाधीश को कारण

अंकित करने होते थे, इस न्यायालय ने *दिलीप सिंह* के प्रकरण [1954] SCR 145 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सज़ा के बिन्दु पर विवेकाधिकार विचारण न्यायालय का है और यदि उसके द्वारा दिये गए कारण युक्तियुक्त हैं, जिससे न्यायिक चित सहमत हो सकता है, उसमें अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

[484-B, D]

6.2. उक्त विधायी संशोधन की रोशनी में हस्तगत प्रकरण *दिलीप सिंह* के मामले से बहतर स्थिति में है। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में *दिलीप सिंह* के मामले के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जब यह घटना लगभग 10 साल पहले हुई थी और पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से मौत का साया अभियुक्त संख्या-11 पर मंडरा रहा था, वहाँ उच्च न्यायालय को सजा चुनने में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए सजा को नहीं बढ़ाना चाहिए था, निचली अदालत ने विस्तृत कारण दिए थे, जिसे यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी न्यायिक चित सहमत न हो। केवल मात्र उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कारणों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाना, सज़ा को बढ़ाकर मृत्यु दंड देने के निर्णय को न्यायोचित नहीं बनाता।

[484-F-H, 485-A]

न्यायिक दृष्टांत *दिलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [1954] एस. सी. आर. 145, पर आश्रित किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील नं. 277-279/1992

गुजरात उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील नं. 88, 89 व 58/1988 में निर्णय व आदेश दिनांकित 06.03.92 से।

अपीलार्थी की ओर से टी. यू. मेहता, एन. एन. केशवानी, अशोक डी. शाह और आर. एन. केशवानी।

उत्तरदाताओं की ओर से मगनभाई बरोट, एस. आर. दिवातिस, एच. एम. गांधी, एस. सी. पटेल और अनीप सचेथी।

शिकायतकर्ता की ओर से ई. सी. अग्रवाल।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गया -

डॉ. आनंद, न्यायमूर्ति –

बारह व्यक्ति अर्थात भरतसिंह पथुबा गोहिल,ध्रुवनसिंह भरतसिंह गोहील, अंतरुद्दसिंह गोहील, जोधा खोड़ा रबारी, भिक्खुभा शिवुभा गोहिल, भूपतसिंह बहादुरसिंह गोहिल, कुवरिसिंह अजीतसिंह गोहिल, नीरूभा, अजीतसिंह, बलदेवसिंह उर्फ बबलूहा सजुभा गोहिल, जसुभा भरतसिंह गोहिल और मोहनसिंह उर्फ नाथबाई रणछोड़भाई ठाकर उर्फ सेलंकी उर्फ

परमा के धारा 302, 307, 148 सपठित धारा 120बी, 143, 149 भा.दं.सं. एवं विकल्प में धारा 302, 307/34 भा.दं.सं. व धारा 25ए आयुध अधिनियम के अपराधों के आरोप में दंडात्मक मुकदमा विद्वान शेशन जज, भावनगर में चलाया गया। (सुविधा की दृष्टि से आगे अभियुक्तगण को अभियुक्त संख्या-1 से 12 से व उक्त न्यायालय को विचारण न्यायालय से संभोधित किया जावेगा)।

विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त संख्या-11 के नेतृत्व में समस्त अभियुक्तगण बतौर विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य, मृतक दिवालीबेन की मृत्यु के लिए उत्तरदाई थे। विचारण न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि समस्त अभियुक्तगण बतौर विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य, जराम भगवान व ओधवजी भगवान की मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार हैं। विचारण न्यायालय के मत में अभियुक्त संख्या-11 पुरुषोत्तम जागा और पोपट लाखा की मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही अभियुक्त संख्या- 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 व 12 ने, जिसमें अभियुक्त संख्या-3, 10, 11 व 12 की सक्रिय भूमिका थी, को भी गोरधान लाखा की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थी। अभियुक्त संख्या- 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 व 12, जिसमें अभियुक्त संख्या-5, 8, 11 व 12 की सक्रिय भूमिका थी, भी मृतक बाबू बाचेर की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थी। विद्वान विचारण सेशन न्यायाधीश ने विधिविरुद्ध जमाव के समस्त सदस्यों को, जिसमें अभियुक्त संख्या-11 की सक्रिय भूमिका थी, को भी मधु खोड़ा और नागजी खोड़ा की

मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना है। प्रागजी मावजी को लगी चोटों के संबंध में, सभी अभियुक्तों को धारा 324 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया था। विचारण अदालत ने मधु नारन को आई चोट के संबंध में सभी आरोपी को धारा 307 /149 भा.दं.सं. के तहत दोषी माना है और पुरुषोत्तम मुलजी को आई चोट के संबंध में सभी आरोपी को धारा 307 /149 भा.दं.सं. के तहत दोषी माना है।

विद्वान विचारण सेशन न्यायाधीश द्वारा यह भी पाया गया कि धंजी भगवान को समस्त अभियुक्तगण ने चोटें कारित की, जिस कारण से वे धारा 307 /149 भा.दं.सं. के तहत दोषी माने जाते हैं। समस्त अभियुक्तगण को धारा 302/149 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप के लिए आजीवन कारावास की सज़ा भुगतने के आदेश पारित किए गए थे। धारा 120 बी भा.दं.सं. के अपराध के आरोप के लिए पृथक से कोई दंडादेश जारी नहीं किया गया था। अभियुक्त संख्या-1, 2, 5, 8, 9, 11 व 12 को धारा 25 ए भारतीय आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के लिए तीन साल के कठोर कारावास व 1000/- रुपये का अर्थदण्ड प्रत्येक, अदम अदायगी अर्थदण्ड अतिरिक्त छह माह का कठोर कारावास से दंडित किया गया। समस्त सजाएँ एक साथ चलने के आदेश दिये गए। अभियुक्तगण ने उक्त आदेश के संदर्भ में उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की व राज्य ने आजीवन कारावास की सज़ा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की अपील की, क्योंकि अभियुक्तगण करीबन दस हसत्याएँ कारणे के दोषी पाये गए थे।

उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या-4 को बरी कर दिया। राज्य की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, केवल अभियुक्त संख्या-11 जशुभा को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गयी। उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तगण की दोषसिद्धि व आजीवन कारावास की सज़ा पुष्ट की गयी। अन्य अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि व सज़ा यथावत राखी गयी। अभियुक्तगण ने, विशेष अनुमति से, उनकी दोषसिद्धि व सज़ा का विरोध करते हुए यह याचिका दायर की है। आज दिनांक तक अभियुक्त संख्या-10, जो कि तभी से फरार है, ने कोई अपील दायर नहीं की है।

अभियोजन की कहानी इस प्रकार से है:

मनगढ़ गाँव व चौमालेण्ड गाँव केवल केवल पृथ्वी तटबंध की सीमा से अलग किए हुए हैं। वर्ष 1980 में गाँव मनगढ़ के कुछ पटेलों ने तीन दरबार भीमदेव सिंह, अजित सिंह, अभियुक्त संख्या-9 का पुत्र, खेन गर्भा चंदुभा और सजुभा पटुभा, अभियुक्ता संख्या-1 के भाइयों की हत्या कर दी। मनगढ़ गाँव के नौ पटेलों के विरुद्ध उक्त अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें बरी कर दिया गया। दुश्मनी और शत्रुता दोनों गुटों के बीच जारी रही।

दिनांक 20.09.1984 अपीलार्थी द्वारा उक्त घटना पर परिवादी पक्ष से बदला लेने के लिए उन पर हमला करने का षडयंत्र रचा गया। घटना इस प्रकार से घटी की परिवादी पक्ष की चाची गौमती बेन की मानविलास गांव

में मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु की खबर मनगढ गांव वालो को प्राप्त हुई, जहां मृतक गौमती बेन के मॉ-बाप निवासरत थे। प्रथा के अनुसार मनगढ गावासियो ने यह तय किया कि वे गांव के बाहर स्थित कुएं में स्नान करने के पश्चात अगले दिन मानविलास शोक समारोह हेतु जायेंगे। उक्त गांव वासियो के परिवहन हेतु एक ट्रक्टर एवं ट्रेलर का इंतेजाम दिनांक 20.09.1984 को किया गया। उक्त शोक समारोह में 12-13 महिलाओ सहित 12 आदमी उक्त ट्रेक्टर एवं ट्रेलर में मानविलास गांव गये। उपरोक्त समस्त मौके का लाभ उठाते हुए अपीलार्थियो ने अभियुक्त संख्या 10 एवं दोषमुक्त अभियुक्त संख्या 04 सहित विधि विरूद्व जमाव का गठन कर घातक आयुध यथा बंदूक, भाला, कुल्हाडी आदि से लैस होकर घात लगाये ट्रेक्टर एवं ट्रेलर के मानविलास गांव से वापस लौटने की प्रतिक्षा कर रहे थे। उन्होने स्वंय को कोली देवजी की बाडी के पास स्थित मानविलास व मनगढ गांव के मध्य स्थित पक्ति को अलग करते हुए मेड अर्थात झाडियो में छिपा लिया। जैसे ही बाडी के पास की रोड पर ट्रेक्टर एवं ट्रेलर आया समस्त अभियुक्तगण रोड पर आ गये और उन्होने अपनी बन्दूको से गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे ट्रेक्टर एवं ट्रेलर के टायर की हवा निकल गई और ट्रेक्टर एवं ट्रेलर रूक गया। इस बीच शेष आरोपीगण झांडियो के बाहर आकर और ट्रेक्टर एवं ट्रेलर में सवार व्यक्तियो पर हमला करने लग गये। बन्दूको से गोला बारी की गई जिस कारण ट्रेक्टर एवं ट्रेलर में सवार व्यक्तियो के चोटे आई। जब कुछ व्यक्तियो द्वारा ट्रेक्टर एवं ट्रेलर

से कूदकर भागने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्तगण में से कुछ व्यक्तियो ने उनका पीछा कर उनके साथ मारपीट की। उपरोक्त वर्णित गोलाबारी के कारण कुछ लोगो को चोट लगने से वे लोग घायल हुए उनमें से एक दीवाली बेन की ट्रेक्टर एवं ट्रेलर में मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अभियुक्तगण अपने गांव वापस लौट आये और गांव के दक्षिणी बाहरी इलाके की ओर जाकर विभिन्न खेतो में काम कर रहे लोगो एवं खेतो से अपनी गाडियो पर लौट रहे व्यक्तियो पर गोलाबारी की गई। उक्त घटना में कई लोग मारे गये। प्रागजी, मागजी, पुरूषोत्तम एवं धनजी को उक्त गोलाबारी से चोटे कारित हुई। औधवजी भगवान व जादम भगवान का पीछा किया जाकर अभियुक्तगण ने उनकी हत्या कर दी। गणेश, जिसे गोलाबारी के कारण चोटे आई वह घटनास्थल पर ही पडा रहा, परन्तु अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण द्वारा पुरूषोत्तम के आवासीय स्थान पर, जब वह गाडी से पत्थर निकाल रहा था, उस पर बंदूक चलाई गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पोपट लाखा, गोवर्धन लाखा व बाबू बाचेर जब खेतो से लौट रहे थे तब आरोपीगण ने उनको गोली मार दी। नागजी खोडा एवं उसका साथी मधु खोडा बंदूक की गोलियो से घायल हुए और उनमें से नागजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मधु खोडा ने उक्त चोटो के कारण अस्पताल में दम तोड दिया। मधु नारन को कुछ चोटे कारित होने के पश्चात वह वहां से बच निकलने में सफल रहा और उसने गरिधार के अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त

की। जब वह अस्पताल में था, तब अन्य घायल व्यक्तियो को इलाज हेतु वहां पर लाया गया, जबकि कुछ अन्य व्यक्तियो को भावनगर सरकारी अस्पताल एवं उसके बाद इलाज हेतु अहमदाबाद भेजा गया। मधु नारन द्वारा घटना की ही दिनांक को शिकायत दर्ज करवाई गई, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार है और अनुसंधान आरम्भ किया गया।

अभियोजन पक्ष ने हस्तगत प्रकरण मे साक्ष्य प्रस्तुत कर यह दर्शाया कि प्रश्नगत घटना से कुछ समय पूर्व पुरूषोत्तम प्रागजी पर समस्त अभियुक्तगण में से अभियुक्त संख्या 08, 11 एवं 12 द्वारा अभियुक्त संख्या 09 के पुत्र एवं अभियुक्त संख्या 07 के भाई ने मिलकर हमला किया, जिसके संदर्भ में उनके विरूद्व मुकदमा चलाकर उनको दोषसिद्व किया गया। जब दिनांक 20.09.1984 को घटना कारित हुई तब उक्त दोषसिद्वि एवं दण्डादेश की अपील उच्च न्यायालय में लंबित थी।

हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि मामले के समस्त मृतक अग्नियस्त्र के उपयोग से किये गये और अन्य आयुध के कारण मारे गये और उक्त कारण से पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट एवं चिकित्सकीय साक्ष्य अथवा अग्निशस्त्र के संबध में विशेषज्ञ द्वारा दी गई साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेहता ने यह तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त संख्या 02, 03, 06 व 10 के विरूद्व मामले को संदेह से प्रमाणित नही करती और

अभियुक्त संख्या 11 को दी गई मृत्युदंड की सजा न्यायोचित नही है क्योंकि विचाराधीन न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर उपलब्ध कोई ऐसी सामग्री के संबध में ध्यान आकर्षित नही कराया जिससे अभियोजन की कहानी में अन्य अभियुक्तगण की मामले में संलिप्तता के संबध में संदेह उत्पन्न हो। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अभियुक्त संख्या 2, 3, 8 व 10 के मामले एवं अन्य अभियुक्तगण के मामले की भिन्नता के संबध में न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। हमारे अभिमत में अभियोजन साक्ष्य अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 के अतिरिक्त अभियुक्तगण की प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट एवं सुदृढ है, जिसके संदर्भ में कुछ समय पश्चात विवेचन किया जावे। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्तगण की दोषसिद्वी के संबंध में दिये गये कारणो से असहमत होने के कोई ठोस कारण नही दिये। हालांकि उनके द्वारा यह तर्क किया गया कि अभियुक्त संख्या 11 की सजा को बढाकर मृत्युदण्ड करना उचित नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया साक्ष्य का विवेचन सराहनीय है और उपरोक्त अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 की दोषसिद्वी के निष्कर्ष एवं तर्को से सहमत है और यह पाया गया कि उनके विरूद्व सफलतापूर्वक मुकदमा पूर्ण कर दोषसिद्व किया गया।

हालांकि इस पर विचार किये जाने से पूर्व कि उच्च न्यायालय अभियुक्त संख्या 11 जशूबा की आजीवन कारावास की सजा को बढाकर मृत्युदण्ड पारित करने के संबध में न्यायोचित की, जिससे पूर्व अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 के मामले के संबंध में विचार किया जाना आवश्यक है।

विद्वान सेशन न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने प्रागजी द्वारा पुलिस चौकी में दी गई शिकायत को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में उचित रूप से माना, जिसके आधार पर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया और उसकी प्रति न्यायालय को प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि हमलावर के रूप में अभियुक्त संख्या 01, 05, 07, 08, 09, 11 व 12 विशिष्ठ रूप से अंकित कर उक्त रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित था कि उक्त अभियुक्तगण मे से 04 अभियुक्तगण अग्नियुद्व से लैस थे और घटना 09;30 एएम से 10;00 एएम के बीच की थी। यह किसी का मामला नही है और वास्तव में राज्य के विद्वान अधिवक्ता से संबधित नही होने से, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबध में कोई विवाद नही किया गया कि परिवादी अभियुक्त संख्या 02, 03, 06 व 10 व अन्य अभियुक्तगण को जानता था। शिकायतकर्ता प्रागजी पीडबल्यू 16 स्वंय आहत होकर स्टेम्पड साक्षी है और यह महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 का नाम बतौर अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में, जो घटना के तुरन्त पश्चात दर्ज करवाई गई, मे अंकित नहीं किया गया। उक्त संबध में यह भी ध्यान में रखा जाना

आवश्यक है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट श्री मेहता पीडबल्यू 11 द्वारा रेकार्ड किये गये बयान में भी पीडबल्यू 16 प्रार्थी ने पुनः अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 का नाम हमले में शामिल व्यक्तियो के रूप में नही किया। बेशख, शिकायतकर्ता ने अपने बयानो में यह कथन किया कि 04 अन्य व्यक्ति भी थे, परन्तु जहां अन्य अभियुक्तगण का नाम रिपोर्ट में अंकित है वहां यह समझना कठिन है कि अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 का नाम रिपोर्ट में क्यों प्रकट नहीं किया, विशेषकर तब जब अन्य समस्त अभियुक्तगण के नाम रिपोर्ट में वर्णित थे। यह कहना सही है कि विचारण के दौरान उक्त चारों अभियुक्तगण को भी घटना से बतौर आरोपी जोड़ने का प्रयास किया गया, परंतु न्यायालय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि निर्दोष व्यक्तियों को दोषी व्यक्तियों के साथ लिप्त करने की प्रवृति नयी नहीं है। यह प्रकट होता है कि पक्षकार के मध्य स्वीकृत दुश्मनी व पूर्व शत्रुता के कारण प्रकरण के विचारण के दौरान विचार-विमार्च करने के उपरांत अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 को हस्तगत प्रकरण में बतौर अभियुक्त जोड़ा गया व उन्हें दोषी बाने हेतु मामला तैयार किया गया।

किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 की घटना के संदर्भ में कोई भूमिका सिद्ध नहीं की है। परिवादी द्वारा पनि रिपोर्ट में "चार व्यक्तियौं इसलिए जोड़ा गया ताकि वह विचार विमर्श करने के उपरांत अन्य व्यक्तियों का नाम बतौर अभियुक्त जोड़ सके। प्रागजी व अन्य अभियोजन गवाहान की साक्ष्य, विशेषकर मधु नारन पीडबल्यू 17 की

साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा अपने मामले में सुधार करने व अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 को अन्य अभियुक्तगण के साथ कुछ समय पश्चात संलिप्त करने के ठोस प्रयास किये गये। उक्त संदर्भ में तृतीय चक्षुदर्शी साक्षी पीडबल्यू 18 पुरूषोत्तम मुल्जी की साक्ष्य का विवेचन करे तो यह प्रकट होता है कि घटना के दो भागो, एक ट्रेक्टर-ट्रोली वाला एवं गांव में घटित अन्य भाग में, अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 की भूमिका स्पष्ट रूप से प्रकट नही हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट लोप व पीडबल्यू 11 कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रागजी के लिये गये बयान में निहित लोप, जिसके संदर्भ में किसी भी स्पष्टीकरण का वर्णन, को केवल खारिज किये जाने के लिए किया जाना है, एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के ध्यानपूर्वक विवेचन व स्वतंत्र परिशीलन का से यह प्रकट हुआ है कि अभियोजन अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 के विरूद्व मामले में संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है और इस संभावना से इंकार नही किया जा सकता कि अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 को हस्तगत प्रकरण में केवल उनके अन्य अभियुक्तगण से संबध एवं पहचान के कारण जोडा गया है।

हमारे मत में विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय ने उक्त अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 एवं अन्य अभियुक्तगण के मामले में भेद न कर एवं अन्य अभियुक्तगण के साथ उन्हे भी दोषसिद्व कर सजा देने में त्रुटि की है। परिणामतः उक्त चारो अपीलार्थी यथा अभियुक्त संख्या 2, 3, 6 व 10 संदेह

का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त होने के अधिकारी है। यहां पर यह भी वर्णित करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि अभियुक्त संख्या 10 ने कोई अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत नही की है परन्तु अभियुक्त संख्या 2, 3 व 6 के मामले से संबधित विसंगतियां उक्त अभियुक्त के मामले पर भी लागू होती है, जिस कारण से उसे केवल इस आधार पर इस न्यायालय के निर्णय का लाभ नही दिया जा सकता कि उसने स्वंय की दोषसिद्वी एवं सजा के विरूद्व हमारे समक्ष कोई अपील नही की है। उक्त कारण से जिस प्रकार संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त संख्या 2, 3 व 6 की दोषसिद्वी एवं सजा का आदेश अपास्त किया जाता है उसी प्रकार अभियुक्त संख्या 10 को भी संदेह का लाभ दिया जाकर उसकी दोषसिद्वी एवं सजा का आदेश अपास्त किया जाता है।

जहां तक अन्य अभियुक्तगण का प्रश्न है, उस संबध में अभियोजन साक्ष्य स्पष्ट एवं सुदृढ है। चक्षुदर्शी गवाहान की साक्ष्य स्पष्ट है। प्रत्यक्षदर्शी गवाहो के विस्तृत प्रतिपरीक्षण के उपरांत भी अभिलेख पर कोई ऐसा तथ्य प्रकट नही आया, जिससे गवाहो की अभियोजन पक्ष के गवाहान की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। अभियुक्तगण द्वारा दी गई इत्तला के अनुसरण में की गई जप्तियां संदेहातीत रही है। चिकित्सकीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण के विरूद्व मामले को संदेह से परे प्रमाणित किया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये कारणो एवं निष्कर्ष से सहमत हैं और अभियुक्त संख्या 01, 05, 07, 08, 09, 11 व 12 की अपराध अन्तर्गत

धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अपराधो के संदर्भ में दोषसिद्वी यथावत रखी जाती है। चूंकि स्वंय उच्च न्यायालय ने राज्य को अभियुक्त संख्या 08 व 12 की आजीवन कारावास की सजा को बढाने के संबध में अनुमति नही दी है, उक्त कारण से इस न्यायालय को उक्त अभियुक्तगण के मामले के संदर्भ में विचार करने बाध्य नही है और हम उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 08 व 12 के संदर्भ में पारित किए गए आजीवन कारावास के दण्डादेश के संबध में किसी प्रकार की वृद्धि नही करने के निष्कर्ष से सहमत है।

अब हम अभियुक्त संख्या-11, जिसे राज्य की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है, के मामले पर आते है।

यह बात सही है कि वास्तव में दिन के भरे उजाले में दस हत्याये कारित की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा समस्त अभियुक्तगण को केवल आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने पर राज्य की लोक अंतश्चेतना आहत हुई है। राज्य द्वारा दस निर्दोष व्यक्तियो की मृत्यु के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त संख्या-8, 11 व 12 की सजा को बढाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है और उच्च न्यायालय ने केवल अभियुक्त संख्या 11 की सजा को बढाया है। पूर्व में यह पाया गया है कि अभियुक्त संख्या-11 जशुभा, जो पहले घटनास्थल से

उपस्थित हुआ और बंदूक से गोली चलाकर ट्रेक्टर व ट्रेलर की टायर की हवा निकाली। जैसे ही ट्रेक्टर व ट्रेलर रूका उसी के द्वारा ट्रेक्टर व ट्रेलर में सवार व्यक्तियो के उपर गोलियां चलाई गई जिससे कई व्यक्तियो के चोटे आई व दीवाली बेन की मृत्यु हो गई। अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त संख्या 11 जशुदा द्वारा पुनः अपनी बंदूक से गोली चलाई गई जो कि धनजी भगवान को लगी। उसके द्वारा चलाई गई अन्य गोलियों को विशिष्ठ रूप से मृतक एवं आहतगण की चोटो से नही जोडा जा सकता। जिस प्रकार से हत्याये कारित की गई, वे गंभीरता को उजागर करती है। यह निर्विवादित है कि अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्त संख्या 11 के नेतृत्व में हथियार रहित व निर्दोष व्यक्तियो, जो गौमती बेन की शोक सभा से लौट रहे थे, पर हमला किया गया। पक्षकारान के मध्य पूर्व दुश्मनी रही थी, केवल इस कारण से जिस प्रकार अभियुक्त संख्या 11 एव उसके साथीगण ने उक्त घटना कारित कर हत्याये की, उसे उचित नही ठहराया जा सकता। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांकित 14.12.1987 के माध्यम से गवाहो की भाव भंगिमा का लाभ अभियुक्तगण को देते हुए मृत्युदण्ड की अत्यधिक सजा से दण्डित न कर समस्त अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 06.03.1992 के माध्यम से अभियुक्त संख्या 11 की सजा को बढा दिया।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त संख्या-11 की मृत्युदण्ड की सजा को यथावत रखने का निवेदन किया। जबकि श्री मेहता, अपीलार्थी अभियुक्त संख्या-11 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मृत्युदण्ड की सजा को पुष्ठ नही करने का निवेदन किया।

इस न्यायालय द्वारा दण्डादेश को बढाने व मृत्युदण्ड की सजा के विषयो के संबध मे निर्धारित किये गये सिद्वान्त एवं विधि सुस्थापित है।

यह निर्विवादित है कि उच्च न्यायालय के पास सजा को बढाने का अधिकार है, जिसे उसके द्वारा संयमित रूप से उपयोग में लेना होता है। उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन करावास की सजा को बढाकर मृत्युदण्ड में परिवर्तित करने के संबंध में कोई ठोस नियम निर्धारित नही किये जा सकते। प्रत्येक माह का अपने तथ्यो एवं परिस्थितियो पर निर्भर करता है। न्यायालय को लगातार ऐसी परिस्थितयो का सामना करना पडता है जहां उन्हे नई चुनौतियो को देखना पडता है एवं उक्त चुनौतियों को हल करने हेतु सजा की प्रणाली को परिवर्तित करना पडता है। समाज की सुरक्षा व अपराधियों को भयोपराधी कानून का स्वीकृत उदेश्य है, जिसे उचित दण्डादेश का आदेश पारित किया जाकर प्राप्त किया जा सकता है। मृत्युदण्ड की सजा के संबध में विधायी मंशा के बदलाव, बावजूद कुछ नायको द्वारा मृत्युदण्ड की सजा का उत्सादन की गुहार, यह दर्शित करते है कि न्यायालय को दाण्डित प्रणाली का संचालन इस प्रकार से करना है कि वे

वह सजा अधिरोपित करे जो समाज कि सामाजिक, अंतश्चेतना को प्रकट करे। सजा की प्रक्रिया, जहां आवश्यक हो कठोर होनी चाहिए।

हालांकि इस न्यायालय द्वारा *बच्चन सिंह* [1980] 2 एससीसी, 684 के मामले में ''दुर्लभ से दुर्लभतम" मामलो में मृत्युदण्ड की सजा अधिरोपित करने के कुछ विशेष आधारभूत सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है, जिन्हे यहां दोहराने की कोई आवश्यकता नही है।

धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संशोधित) यह आज्ञापक करती है कि मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों में दोषसिद्धि के समय अभियुक्त के विरुद्ध पारित किया गया दंडादेश के समर्थन में कारण अंकित करने होंगे और यदि न्यायाधीश मृत्यु दंड पारित करता है, तो वह उक्त संदर्भ में "विशेष कारण" अपने निर्णय में अंकित करेगा। अतः न्यायाधीश अपने दंडादेश के विवेक के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए विधिक दायित्व के अधीन है। विधायिका ने अपने सर्वोच्च ज्ञान में पूर्वसांकेतिक किया कि कुछ "दुर्लभ मामलों" में "विशेष कारण" अभिलेख पर लिए जाने से मृत्यु दंड की अत्यधिक सज़ा अधिरोपित करने से अन्य व्यक्तियों में दर पैदा कर समाज की संरक्षा की जा सकती है और राज्य व देश की संप्रभुता व सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती, परंतु विधायिका ने दंडादेश का चुनाव करने का अधिकार न्यायपालिका को इस शर्त के साथ दिया है कि "विशेष कारण" हेतु न्यायालय मृत्यु दंड की

अत्यधिक सज़ा दे सकता है। परिणामतः दंडादेश पारित करने वाले न्यायालय को उक्त बिन्दु के संदर्भ गंभीरता से विचार करना होता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना होता है कि सज़ा के बिन्दु को प्रभावित करने वाले समस्त सुसंगत तथ्य व परिस्थितिय अभिलेख पर प्रस्तुत किए जावे। न्यायालय को सज़ा देने से पूर्व न्यूनीकरण व गुरुतर करने वाली परिस्थित्यों को महत्व देना होता है।

हस्तगत परकान में, विचारण न्यायालय द्वारा पैरा संख्या-83 से 92 में सज़ा के बिन्दु के संदर्भ में विस्तार से विवेचन किया गया है और विधिक प्रावधानों, धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से लाये गए विधायी परिवर्तन व न्यायिक विनिश्चय के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि आजीवन कारावास की सज़ा से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। परिणामतः यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय ने मात्र फौरी तौर पर आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी और मृत्यु दंड की सज़ा नहीं देने के विवेक के संबंध में विस्तृत कारण अंकित किए हैं। विचारण न्यायालय द्वारा दिये गए कारण पूर्ण रूप से असंतोषजनक व अप्रासंगिक नहीं हैं, विकृत तो बिलकुल नहीं है। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिये गए कारणों से असहमत होकर, विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के पाँच वर्ष उपरांत, अभियुक्त संख्या-11 की आजीवन कारावास की सज़ा को बढ़ाकर मृत्यु दंड कर दिया। उच्च न्यायालय ने सज़ा के बिन्दु पर अपने मत के समर्थन में कारण अंकित

किए, परंतु उच्च न्यायालय ने यह अभिमत नहीं दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिये गए कारण इस स्तर पर विकृत व अनुचित थे, की उन्हें रखे नहीं जा सकते। उच्च न्यायलय द्वारा विधायक निधि व इस न्यायालय द्वारा स्थापित विधि का भिन्न दृष्टिकोण लेते हुए व इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर मृत्यु दंड का आदेश आधारित किया है। वैध रूप से उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी एक संभावित दृष्टिकोण है।

हमने अभियुक्ता संख्या-11 जशुभा को मृत्युदंड की सज़ा न देने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों और उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या-11, जशुभा पर आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्यु दंड के आदेश पारित किए जाने के कारणों पर गहनता से विचार किया है।

धारा 354(3) दंड प्रक्रिया संहिता के उक्त विधि में समावेशन से पहले, जब मृत्यु दंड की सज़ा देना लगभग नियम था और आजीवन कारावास की सज़ा अधिरोपित करने के लिए विचारण न्यायाधीश को कारण अंकित करने होते थे, इस न्यायालय को भी लगभग वर्तमान प्रकरण जैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था । *दिलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य*, एआईआर (1953) एससी 364, में, इस न्यायालय द्वारा उक्त विषय का इस प्रकार निपटारा किया गया:

"सजा के बिन्दु पर, हमारे लिए किसी भी परिस्थिति में हस्तक्षेप करना आवश्यक होगा क्योंकि इसमें सिद्धांत का प्रश्न अंतर्निहित है। हत्या के मामले में आम तौर पर मृत्यु दंड की सज़ा दी जानी चाहिए, जब तक कि सुनवाई करने वाला न्यायाधीश उन कारणों के लिए जिन्हें आम तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए, कम सज़ा देना उचित नहीं समझता। *परंतु विवेक उसका है और यदि वह कारण बताता है जिस पर न्यायिक दिमाग उचित रूप से अपील कर सकता है, अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की सजा को मृत्यु दंड की सज़ा में बढ़ाने की शक्ति बहुत कम अवसरों पर और केवल सबसे मजबूत संभावित कारणों के लिए ही प्रयुक्त की जानी चाहिए किया जाना चाहिए। किसी अपीलीय अदालत के लिए यह कहना या सोचना पर्याप्त नहीं है कि यदि उसे अपने ऊपर छोड़ दिया जाता तो वह अधिक से अधिक दंड देती, क्योंकि विवेक अपीलीय अदालत का नहीं बल्कि विचारण न्यायालय का होता है और यही एकमात्र आधार है जिस पर अपीलीय अदालत हस्तक्षेप कर सकते हैं कि विवेक का अनुचित प्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए जहां कोई कारण नहीं दिया गया है और मामले की परिस्थितियों से कोई भी*

अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, या जहां तथ्य इतने घोर हैं कि कोई भी सामान्य न्यायिक दिमाग कम जुर्माना नहीं दे सकता है।" (जोर)

उक्त विधायी संशोधन की रोशनी में हस्तगत प्रकरण *दिलीप सिंह* के मामले से बहतर स्थिति में है। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में *दिलीप सिंह* के मामले के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जब यह घटना लगभग 10 साल पहले हुई थी और पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से मौत का साया अभियुक्त संख्या-11 पर मंडरा रहा था, वहाँ उच्च न्यायालय को सजा चुनने में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए सजा को नहीं बढ़ाना चाहिए था, निचली अदालत ने विस्तृत कारण दिए थे, जिसे यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी न्यायिक चित सहमत न हो। केवल मात्र उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कारणों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाना, सज़ा को बढ़ाकर मृत्यु दंड देने के निर्णय को न्यायोचित नहीं बनाता। परिणामतः उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित मृत्यु दंड की को आजीवन कारावास की सज़ा में परिवर्तित किया जाता है और शेशन न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश की पुनर्स्थापना की जाती।

इस प्रकार, उपरोक्त विवेचनानुसार, अभियुक्त संख्या-2, 3 व 6 की अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उनकी दोषसिद्धि व सजा के आदेश को अपास्त किया जाता है। अभियुक्त संख्या-2, 3 व 6 को दिया गया लाभ

अभियुक्त संख्या-10 को भी दिया है और उसकी दोषसिद्धि और सजा भी रद्द की जाती है। अभियुक्त संख्या-11 की अपील इस हद तक स्वीकार्य है कि उसकी सजा बरकरार रखते हुए उस पर अधिरोपित मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया जाता है। अन्य सभी मामलों में, अभियुक्त संख्या-11 की अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है और अन्य अपराधों के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा यथावत रखी जाती है। शेष आरोपियों अभियुक्त संख्या-1, 5, 7, 8, 9 व 12 की अपील खारिज की जाती है और उनकी दोषसिद्धि और सजा का आदेश यथावत रखा जाता है।

अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 यदि अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो, तो उन्हें अविलंब रिहा किया जावे।

आर.आर.

अभियुक्त संख्या-2, 3, 6 व 10 की अपील स्वीकार की गयी।

अभियुक्त संख्या-1, 5, 7, 8, 9 व 12 की अपील खारिज की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल मिश्रा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।